



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

V-144
31/7/23

क्रमांक: जविप्रा/उपा/जोन-11/2023/डी - 2168

दिनांक 31/7/23

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटि का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स. / निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्री रामेश्वर पुत्र श्री सोहन	श्री रामेश्वर पुत्र श्री सोहन	1610	200 वर्गमीटर	जविप्रा	ग्राम पालडी परसा	लीजडीड	आवंटन पत्र
2.	श्री रामेश्वर पुत्र श्री सोहन	श्री रामेश्वर पुत्र श्री सोहन	1383	240 वर्गमीटर	जविप्रा	ग्राम पालडी परसा	लीजडीड	आवंटन पत्र
3.	श्री रामेश्वर पुत्र श्री सोहन	श्री रामेश्वर पुत्र श्री सोहन	एस-878	90 वर्गमीटर	जविप्रा	ग्राम पालडी परसा	लीजडीड	आवंटन पत्र
4.	श्री रामेश्वर पुत्र श्री सोहन	श्री रामेश्वर पुत्र श्री सोहन	एस-746	18 वर्गमीटर	जविप्रा	ग्राम पालडी परसा	लीजडीड	आवंटन पत्र

प्रतिलिपि:- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति प्रकाशन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

उपायुक्त जोन-11
जविप्रा, जयपुर।

उपायुक्त जोन-11
जविप्रा, जयपुर।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-14 जयपुर
विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102749

दिनांक: 31/07/2023

लोक सूचना

श्रीमति GULAB DEVI पत्नी श्री RANJEET MAL जाति MEENA निवासी 188, HIMMAT NAGAR TONK ROAD JAIPUR

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का वाणिज्य/मिश्रित प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	शिवदासपुरा, चाकसू (जयपुर)	GULAB DEVI	2209/521	1550	0.155
2.	शिवदासपुरा, चाकसू (जयपुर)	GULAB DEVI	519	8100 मे से 4550	0.455
कुल					0.61

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 31.07.2023 को जारी की गयी।

— sd —
प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

प्रतिलिपी —

- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा जयपुर को राज्य स्तरीय समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशन हेतु सूचनार्थ।
- रक्षित प्रति।


प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102633 / 2113

दिनांक: 28/7/23

लोक सूचना

MEDHAVI PREMISES PRIVATE LIMITED AUTHORISED SIGNATORY
HARSH KOTHARI पुत्र श्री PRAKASH KOTHARI जाति GENRAL निवासी 262, BASANT
VIHAR, SCHEME NO. 3. ALWAR, RAJASTHAN-301001, INDIA ने इस कार्यालय में नीचे
उल्लिखित भूमि का गैर-कृषिक (रिसोर्ट) प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति
अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल (हेक्टै.)	स्वामित्व
तहसील-आमेर जिला-जयपुर	अचरोल	55	0.9500	MEDHAVI PREMISES PRIVATE LIMITED
		56	0.8900	
		80	0.4000	
		81	0.2300	
		किता-4	2.47 हेक्टेयर	

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 28/7/23 को जारी की गयी।

Sd.
प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

प्रतिलिपि:-सहायक निदेशक (जनसम्पर्क) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त लोक सूचना का दो राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन आपके स्तर से करवाया जाना है। अतः आप उक्त लोक सूचना के प्रकाशन रोस्टर अनुसार 08 (आठ) फोंट साईज में दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर, समाचार पत्रों की दो-दो मूल प्रतियाँ इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

Sd.
प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
इन्दिरा सर्किल जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर
प्रारूप 13
{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा
90-क (8) के अन्तर्गत

संख्या 1530

दिनांक 31/7/2021

लोकसूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्नवर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 31/12/2021 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्तभूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है, कि आप की सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण धारा 54ई में लीजडीड जारी करने के लिये प्रार्थी द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृष्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8)के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 संपठित धारा 90ए (5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नहीं आपकी खातेदारी की निम्नवर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 संपठित धारा 90ए(5) एवं संपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुर्नग्रहित कर लिया जावे।

ग्राम का नाम मय तहसील	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर)	स्वामित्व (नवीन जमाबन्दी अनुसार)
हीरापुरा तह. जयपुर	151/ 1	0.0759	1. श्री अशोक कुमार गुप्ता पुत्र श्री केदारदास गुप्ता हिरसा 43/253 जाति महाजन, 2. श्री प्रदीप अग्रवाल पुत्र श्री रामनारायण अग्रवाल हिरसा 43/253 जाति महाजन, 3. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय हिरसा 81/253 4. सीताराम पुत्र आनन्दीलाला हिरसा 86/253 जाति अहीर(यादव)

प्रशासन शहरो के संग अभियान के अन्तर्गतनगरीय विकास, आवासन एवंस्वायत्त शासनविभाग, राजस्थानसरकार के आदेशक्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.झा जयपुरदिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में हित रखनेवाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो गय साक्ष के विज्ञापित प्रकाशन के 07 दिवस में कमरा नं. पी बी-एसएफ-218 डी, पार्किंग भवन, द्वितीय तल, जविप्रा में कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियां प्रस्तुत नहीं करने की दशा में आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक 31/7/2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

— SD —
प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन-07 जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, ज.वि.प्रा., जयपुर को भेज कर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवा कर अधोहस्ताक्षर कर्ता को भी अवगत करवाने का श्रम करावे।
2. तहसीलदार जयपुर।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन-07 जविप्रा, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102735

दिनांक: 31/07/2023

लोक सूचना

गुल्लाराम पुत्र नन्दा जाति ब्राह्मण सा.देह.

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का वाणिज्यिक(पेट्रोल पम्प) प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-


क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	भांकरोटाकंला सांगानेर (जयपुर)	गुल्लाराम पुत्र नन्दा जाति ब्राह्मण सा.देह.	3206 / 1211	415	0.0415
			3214 / 1212	367	0.0367
कुल					0.0782

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयाजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉन इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक **31-07-2023** को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : 1.U2012/JDA/2023-24/102748

दिनांक : 31/07/2023

लोक सूचना


1. रिमार्क केमिकल्स एलएलपी (पंजीकृत कार्यालय दुर्गा मोटर कंपनी 167, जीपीओ के सामने, एमआई रोड, जयपुर राजस्थान) जारिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री श्रीप्रिया गुप्ता पुत्र श्री अमन गुप्ता निवासी 15, वाणक्यपुरी तीजा टूरिस्ट बंग्लोव के पीछे, बनीपार्क, जयपुर।
2. श्री राजू पुत्र श्री बिस्वीचन्द जाति गीणा निवासी ग्राम हरामपुरा, गांकरोटा, जयपुर
3. श्री रामस्वरूप पुत्र श्री बिस्वीचन्द निवासी ग्राम हरामपुरा, गांकरोटा, जयपुर
4. श्री लक्ष्मणराव पुत्र श्री बिस्वीचन्द निवासी ग्राम हरामपुरा, गांकरोटा, जयपुर
5. श्री बुद्धिप्रकाश पुत्र श्री धन्ना लाल निवासी शिरसी रोड, गोज्यावारा गांकरोटा, जयपुर।
6. श्री मुकेश कुमार शर्मा पुत्र रघु, श्री प्रमूलाल निवासी 35, गायत्री नगर, सोडाला, जयपुर
7. श्री कमलेश कुमार शर्मा पुत्र रघु, श्री प्रमूलाल निवासी 35, गायत्री नगर, सोडाला, जयपुर
8. श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री धन्नालाल निवासी एरा.डी. 77, शांति नगर, बिहाईगड ई.एस.आई. हॉस्पिटल, जयपुर राज. जारिये मु आम श्री बुद्धिप्रकाश पुत्र श्री धन्नालाल निवासी शिरसी रोड, गोज्यावारा, गांकरोटा, जयपुर राज. ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित श्रुति का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी श्रुति के अपने अधिष्ठाता अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्:

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार	खसरा सं.	क्षेत्रफल (हेक्ट.) में
1	ग्राम श्रीरामगोपालपुरा जर्म गोज्यावारा तहसील सांगानेर	1. कमलेश कुमार शर्मा पुत्र प्रमूलाल हिरसा- 1/24 जाति- खाती सा. देह। खातेदार 2. बुद्धिप्रकाश पुत्र धन्नालाल हिरसा- 1/12 जाति- खाती सा. देह खातेदार 3. मुकेश कुमार शर्मा पुत्र प्रमूलाल हिरसा- 1/24 जाति- खाती सा. देह। खातेदार 4. गैरसी रिमार्क केमिकल्स एल एल पी हिरसा- 1/2 जाति- (NA) पंजीकृत कार्यालय दुर्गा मोटर कंपनी 167 जी पी ओ के सामने एम आई रोड जयपुर खातेदार 5. राजू पुत्र बिस्वीचन्द हिरसा- 1/12 जाति- गीणा सा. देह खातेदार 6. रामस्वरूप पुत्र बिस्वीचन्द हिरसा- 1/12 जाति- गीणा सा. देह खातेदार 7. लक्ष्मीनारायण पुत्र धन्नालाल हिरसा- 1/12 जाति- खाती सा. देह खातेदार 8. लक्ष्मणराव पुत्र बिस्वीचन्द हिरसा- 1/12 जाति- गीणा सा. देह खातेदार	375 376 377 729/378	1.9500 में से 0.7550 है 0.4200 में से 0.2500 0.1100 0.4800
		कुल किता 4		2.96 हेक्ट. में से 1.5950

इसलिए, इसके द्वारा रामरत संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान मू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अधिष्ठाता अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए श्रुति के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अधिष्ठाता अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एराएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईफॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपरोक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 31-07-2023 को जारी की गयी।


प्रवीण कुमार
प्राधिकृत अधिष्ठाता
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:- जविप्रा/उपा./जोन-11/2023/डी-2173

दिनांक 31/5/23

सार्वजनिक नोटिस

जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की 60 गीटर चौड़ी सडक सैक्टर रोड में आ रही भूमि राजसव ग्राम मांकरोटाकंला तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 3123/1744 रकबा 0.0460 हैक्ट. ख.नं. 3141/3121 रकबा 0.2203 हैक्ट. कुल किता 2 कुल रकबा 0.2663 हैक्ट के खातेदार श्री अभिमन्यू वंसल पुत्र श्री राजप्रकाश वंसल निवासी-ए-122, शिव मार्ग, श्याम नगर सोडाला, जयपुर द्वारा जयपुर प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रचलित नीति/आदेश/परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जोन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

सभी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि यावत् यदि कोई न्यायिक प्रकरण/रथगन/वाद विवाद/स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया उपायुक्त जोन-11 के कार्यालय में 07 दिवस में मय समुचित संबंधित दस्तावेजात् आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहें।

सचिव

जयपुर विकास प्राधिकरण,

जयपुर।